न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर 50/19

1– प्यार सिंह उम्र 64 साल
2– किशनसिंह उम्र 73 साल
3– माधो उम्र 49 साल
4– रतन उम्र 57 साल
पुत्रान चरन, जाति – गूजर, निवासी अड्डा, तहसील– बयाना, जिला भरतपुर (राज0)

–– प्रार्थीगण

(बनाम)

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

–– असल अप्राथी

2– कप्तानसिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र नादान
3– भगवानसिंह उम्र 57 वर्ष पुत्र जगन
4– भौतीदेवी उम्र 55 वर्ष पत्नी नादानसिंह
5– मोहनसिंह उम्र 43 वर्ष पुत्र धरम
6– रेखसिंह उम्र 48 वर्ष पुत्र धरम
7– रुपसिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र कमल
8– राधे उम्र 58 वर्ष पुत्र कमल
9– रामअवतार उम्र 32 वर्ष पुत्र रामजीलाल
10– राहुल उम्र 28 वर्ष शिब्बी
11– रवि उम्र 25 वर्ष पुत्र शिब्बी
12– पूजा उम्र 22 वर्ष पुत्री शिब्बी
13– लक्ष्मी उम्र 52 वर्ष पत्नि शिब्बी
14– भागसिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र हरीकिशन
15– लालसिंह उम्र 35 वर्ष पुत्र हरीकिशन
सभी गूजर निवासी अड्डा, तहसील– बयाना जिला– भरतपुर

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)

––शोभनार्थ अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र शुद्धीकरण अन्तर्गत
धारा 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट

दिनांकः– 5/12/2025

निर्णय

उपस्थितिः– श्री भगवानसिंह गुर्जर एड0 प्रार्थीगण

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 495 रकवा 0.08, 496 रकवा 0.09, 497 रकवा 0.12, 498 रकवा 0.15, 499 रकवा 0.11, 500 रकवा 0.18, 501 रकवा 0.15, 502 रकवा 0.12, 503 रकवा 0.11 किता 9 कुल रकवा 1.11 हैक्टेयर वाकै ग्राम अड्डा तहसील बयाना में स्थित है। प्रार्थीगण व शोभनार्थ अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। प्रार्थीगण के पिता चरन की मृत्यु प्रार्थीगण के बाबा गंजे पुत्र गुलाब से पूर्व हो चुकी है और उक्त आराजीयात प्रार्थीगण को सीधे ही अपने बाबा गंजे पुत्र गुलाब से अन्य आराजीयात के साथ प्राप्त हुई है मृतक गंजे पुत्र गुलाब का सजरा निम्न प्रकार है।

गंजे पुत्र गुलाब

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

चरन	धरम	जगन

किशन	रतन	माधो	प्यारसिंह

प्रार्थीगण के बाबा गंजे की मृत्यु के बाद विरासत का दाखिल खारिज संख्या 208 से विधिक वारिसान के नाम आराजीयात आयी थी जो सही हिस्से अनुसार आयी थी लेकिन जमावन्दी तैयार करते समय राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से भूलवश प्रार्थीगण के हाल खाता संख्या 334 में प्रार्थी प्यारसिंह का नाम दर्ज होने से रह गया है और प्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के पिता के नाम चरन के स्थान पर प्यारसिंह नाम दर्ज कर दिया है जो कि गलत है प्रार्थीगण के पिता का नाम तो चरन है। प्यारसिंह प्रार्थी संख्या 2, 3, 4 का भाई है। प्रार्थीगण के अन्य खाता संख्या हाल 335, 278 में प्रार्थीगण का नाम व पिता का नाम सत्य व सही अंकन हो रहा है। जमाबन्दी तैयार करते समय राजस्व कर्मचारियों की सहवन की गलती से प्रार्थीगण को भारी हक तलफी हो रही है इसलिए प्रार्थीगण के पिता का नाम प्यारसिंह को कलमजन कर चरन दर्ज किया जाए व प्रार्थी प्यारसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में अन्य खातेदारों के साथ दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है उक्त हो रही गलती की जानकारी प्रार्थीगण को पटवारी हल्का से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते समय दिनांक 05.09.2019 को हुई है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने प्रार्थीगण के पिता का नाम प्यारसिंह को कलमजन किया जाकर शुद्व अंकित किये जाने व प्रार्थी प्यारसिंह का नाम खाता संख्या हाल 334 में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र अनुसार तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 15 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 15 की ओर से श्री गोरधन एड0 ने वकालतनामा पेश कर इकबाल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2021 को पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अपनी सहमती दी है। तहसीलदार बयाना के पत्रांक/एलआर/22/5556 दिनांक 14.12.2022 से प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त हुई तहसीलदार बयाना ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम अड्डा के खसरा नम्बर 495 से 503 कता 9 रकवा 1.11 हैक्ट साविक खसरा नम्बर 442 मिन रकवा 6111/2 से बने हुये है। मुताबिक नामान्तकरण संख्या 208(बन्दोवस्त पूर्व) दिनांक 31.12. 1985 विरासत से उक्त खसरा नम्बरान में गंजे पुत्र गुलाव हिस्सा 1/3 के स्थान पर किशन, रतन, माधो, प्यारसिंह पिसरान8 चरन हि.ब. 1/9 दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–78 ग्राम अड्डा के खाता संख्या 334 पर किशन, माधो, रतन पिसरान प्यारसिंह हि.ब. 1/9 दर्ज जो कि अशुद्व है। जिसको नामान्तकरण संख्या 208 के अनुरूप किशन, माधो, रतन, प्यारसिंह पिसरान चरन हिस्सा 1/9 दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है।

हमने विद्वान एडवोकेट प्रार्थी को एकपक्षीय सुना एड. प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट तहसीलदार बयाना दिनांक 14.12.2022 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 नवीन खाता सं. 334, 335, 278 जमाबन्दी 2038–41 नवीन खाता संख्या 182, 211, 200 नामान्तकरण संख्या 208, जमाबन्दी 2051–70 (खाता संख्या 200, 235) नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग का अवलोकन किया। नामान्तकरण 208 अनुसार साविक खसरा नम्बर 445 प्रार्थीगण के पिता चरन पुत्र गज्जे के फोत होने पर विरासत का नामान्तकरण किशन, रतन, माधो, प्यारसिंह के नाम स्वीकृत हुआ। भू–प्रबन्ध के दौरान तैयार की गई जमाबन्दी 2051–70 के खाता संख्या 200 में किशन, रतन, माधो, प्यारसिंह पिसरान चरन का अमल सही है। परन्तु अन्य नवीन खाता संख्या 233 में किशन, रतन, माधो पिसरान प्यारसिंह (गलत) अकंन हुआ है। जबकि इस खाते में किशन, रतन, माधो, प्यारसिंह पिसरान चरनसिंह ब.हिस्सा बराबर 1/3 दर पाचवा सही दर्ज है। पुराने मिन ख.न. से नवीन ख.न. 495, 496, 497, 498, 499 500, 501, 502, 503 वाके ग्राम अड्डा तहसील बयाना दौराने भू–प्रबन्ध बनाए गए है। तहसीलदार बयाना ने भी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 208 के अनुरूप , किशन, माधो, रतन, प्यारसिंह पिसरान चरणसिंह हिस्सा 1/9 किये जाने में

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

सहमती दी है। बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण, रिपोर्ट तहसीलदार बयाना एवं अन्य दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि ग्राम अड्डा तहसील बयाना के नवीन खाता संख्या 334 में प्रार्थीगण पिता का नाम प्यारसिंह को कलमजन कर प्रार्थीगण के पिता का नाम चरन शुद्व किया जावे, एवं खाता संख्या हाल 334 में दर्ज आराजीयात अन्य प्रार्थीगण के साथ प्यारसिंह का नाम व हिस्सा बराबर दर्ज किया जावे। अर्थात अंकन नामान्तकरण संख्या 208 दिनांक 31.12.1985 के अनुरूप किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/12/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

न्यायालय उप जिला कलक्टर
बयाना (भरतपुर)